


<p>तारीख</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू                  कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत लालपुर                  प्रकरण सं. 42/2015                  उनवान                  सुशील बनाम घनश्याम वगैरह                  प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम व अ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. बायत                  अस्थाई निषेधज्ञा</p>	<p>राजस्थान लोक अदालत                  न्याय आर्षक द्वार                  अभियान-2018</p>
<p>29.06.2018</p>	<p>यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत ग्राम पंचायत लालपुर में पेश हुई। पक्षकारानो मे से कोई उपस्थित नही आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पाया कि वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए अन्तिम अवसर दिनांक 07.06.2018 को दिया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड तलवाने पर अन्दर 7 दिवस मे पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु वकील प्रार्थी ने आदेश की पालना मे अप्रार्थीगण की तलबी पेश नही की गई है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र अदम तकमील मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">                   उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू                  झुंझुनू (राजस्थान)             </p>	